संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल।
E-mail: mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष 0755–2427091

क्रमांक 4886 / एम / 501 / नग्रानि / विधि / 2020 दिनांक 18 / 11 / 2020

/ / आदेश / /

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के आदेश क्रमांक 1874 / A से 1871 / B / एम–501 / नग्रानि / विधि / 2020 भोपाल, दिनांक 15.05.2020 जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ–03–79 / 32 / 2014 भोपाल, दिनांक 16 / 11 / 2020 के अनुसरण में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 75 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अजीत कुमार, आयुक्त सह संचालक, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को प्रदत्त शक्तियॉ, उद्योग विभाग / औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा अधिसूचित एवं विकसित औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत उसकी समस्त स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधि हेतु अनुमति मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा–27, 29, 30, 30–क एवं धारा–33 की शक्तियॉ, प्रबंध संचालक, म.प्र. इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को प्रत्योजित करता हूँ।

यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रभावशील विकास योजनाओं में उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्र को छोड़कर औद्योगिक भूमि उपयोग में समस्त स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों की अधिनियम की धारा, 27, 29, 30, 30–क एवं 33 की अनुज्ञा संबंधित जिला कार्यालय प्रमुख नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा ही दी जावेगी।

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 24(4) के प्रावधानुसार भूमि के विकास की अनुज्ञा, नगरों की विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। प्रबंध संचालक, म.प्र. इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा प्रत्येक अनुमोदित अभिन्यास की प्रति संचालक तथा संबंधित जिले के नगर तथा ग्राम निवेश अधिकारी को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित की जाएगी।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

C:\Users\tncp11\Desktop\LK\m-501-order.docx

4887

पृ.क्रमांक एम / 501 / नग्रानि / विधि / 2020 दिनांक 18 / 11 / 2020

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा विभाग, भोपाल को सूचनार्थ।
7. समस्त महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय ------------- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
म.प्र. भोपाल

C:\Users\tncp11\Desktop\LK\m-501-order.docx